



21/12/12

21/12 21/12 21/12 21/12 21/12

भूमि सुधार उप समाहता का न्यायालय, धालगूम, जगशेदपुर। **डेटा - लोकी विक्रमादिप**
विज्ञापन - सलमा मुसादिति मिस केस संख्या- 87 / 11-12 **U/S-46 C.N.T.A.R**

आदेश की तिथि आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर क्र. का.

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:-
1. विकेता प्रसंगाधिन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विकेता और केता दोनों ही अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं।
3. केता एवं विकेता एक ही थाना के निवासी हैं। इसी थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधिन जमीन अवस्थित है।
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटेनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) द्वितीय परन्तुक(ए),(बी),(सी) के अंतर्गत विकेता- **सलमा मुसादिति**

पिता- **सरो सीतल हठ देवना विक्रि** जाति- **उँव**

ग्राम- **भागरी** अंचल- **जगशेदपुर** थाना- **भागरी** जिला- **पूर्वी सिहभूम** को मूल्य **₹. 100/-** रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो अधिक है, की दर से

केता- **सीतल जीतल** पिता- **सरो उँव** जाति- **उँव**

ग्राम- **भागरी** अंचल- **जगशेदपुर** थाना- **भागरी** जिला- **पूर्वी सिहभूम** के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन है:-

गौजा	थाना सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहदी/जमीन का किस्म
भागरी	घाँ 00-	412	2034	0.04.10	सू
सिहभूम	9				

पढ़ा एवं संशोधन किया **21/12**

तुल्य किया **21/12**

मुद्रा किया **21/12**

अन्तरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित **Acharya Kumar Desai** (अधिनियम के अंतर्गत)

अनुमोदित न्यायालय, जगशेदपुर, धालगूम, पंजाब।

